न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी हनुमानगढ़
पीठासीन अधिकारी :– करतार सिंह पूनीयॉ आर.ए.एस

अपील सं0 48/2019
आरसीएमएस नं. 2019/00048

श्रीमति पारबती देवी पत्नी जगदीश पुत्री बुधराम जाति जाट निवासी चक 2 एलबीएम तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ।

बनाम

1. गणपतराम पुत्र खेताराम (फौत)
   1/1 जयपाल } पि0 स्व0 गणपतराम जाति जाट निवासी चक 13 एस.एच.पी.डी.
   1/2 राजपाल } वी.पी.ओ. जाखड़ांवाली तहसील पीलीबंगा।
   1/3 चमेली देवी पत्नी स्व0 गणपतराम जाति जाट निवासी चक 13 एस.एच.पी.डी. तसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ।
   1/4 राममूर्ति उर्फ गुड्डी पत्नी जसराम पुत्री स्व0 गणपतराम जाति झुरिया निवासी चक 8 एस.एच.पी.डी. तहसील सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर।
   1/5 शारदा देवी पत्नी कृष्ण लाल पुत्री स्व0 गणपतराम जाति झुरिया निवासी चक 8 एस.एच.पी.डी. तहसील सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर।
   1/6 रामप्यारी पत्नी जगदीश पुत्री स्व0 गणपतराम जाति पुनियां निवासी जोगीवाला तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर।
   1/7 रामेश्वरी देवी पत्नी चिमनाराम पुत्री स्व0 गणपतराम जाति जाट मांझू निवासी ग्राम ठाकरूवाला तहसील पलीबंगा जिला हनुमानगढ।
   1/8 सरोज देवी पत्नी बलराम पुत्री स्व0 गणपतराम जाति जाट भोबिया निवासी ग्राम कर्मशाना तहसील ऐलनाबाद जिला सिरसा
   1/9 सुमन देवी पत्नी मदन पुत्री स्व0 गणपतराम जाति जाट भोबिया निवासी कर्मसाना तहसील ऐलनाबाद जिला सिरसा
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व पीलीबंगा जिला हनुमागनढ।

– रेस्पोडैन्ट

अपील अन्तर्गत धारा 75 एलआरएक्ट
विरूद्व निर्णय दिनांक 13.02.2019
द्वारा सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, पीलीबंगा
प्रकरण संख्या 30/2002 बअनवान गणपत बनाम सरकार

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

श्री संजय चांडक अधिवक्ता अपीलाण्ट
श्री शैलेन्द्र बिश्नोई अधिवक्ता रेस्पोडेण्ट 1/1 ता 1/9
श्री खुशकरण सिंह खोसा राजकीय अधिवक्ता रेस्पो0 सं0 2

दिनांक – 23.09.2022

निर्णय

1. संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में गणपतराम ने एक प्रार्थना–पत्र पेश किया जिसमें मुताबिक प्रश्नोतरी पोस्ट 55 की भूमि होना मानते हुए यह तथ्य अंकित किया कि उक्त भूमि संवत 2015 से लगातार काश्त थी। इस भूमि में से श्रीमान एसीसी साहब सूरतगढ द्वारा दिनांक 31.12.2072 के निष्प्रय अनुसार कर्मी पूति के तहत आवंटन फरमाई गई और शेष भूमि आराजीराज करार दी गई इस निर्णय के विरूद्ध नजरसानी पेश हुई जो दिनांक 29.11.73 को खारिज कर दी गई। कालान्तर में माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर के यहां रिट की गई जो निर्णय दिनांक 28.10.1988 को नये सिरे से नजरसानी का गुणागवुण पर निस्तारण करने का आदेश दिया गया । विचारण न्यायालय ने माननीय उच्च न्यायलाय जोधपुर के निर्णय के आधार अपीलाधीन आदेश के द्वारा प्रश्गनत भूमि को कीमत आवंटन किये जाने के आदेश दिये, जिससे व्यथित होकर अपीलाण्ट ने यह अपील पेश की है।
2. उभयपक्ष की बहस सुनी गई।
3. विद्वान अधिवक्ता अपीलाण्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि मातहत न्यायालय के द्वारा प्रश्नगत रकबा रेस्पोडेण्ट नं. 1 को आवंटित किये जाने से पूर्व ना तो वर्तमान राजस्व रिकार्ड का अवलोकन किया एव ना ही तहसील से रिपोर्ट ली। मातहत अदालत ने नियमों की अनदेखी करते हुए रकबा रेस्पोडेण्ट को आवंटित किया हे। प्रश्गनत रकबा दिनांक 16.04.2007 को आवंटन स्वीकार फरमाया गया था किन्तु उक्त निर्णय के विरूद्ध सरकार के द्वारा श्रीमान न्यायालय में अपील पेश किये जाने पर राजस्व रिकार्ड की एवं मौका की वास्तविक स्थिति की जानकारी हुई फलस्वरूप सरकार पक्ष की अपील स्वीकार करते हुए श्रीमान न्यायालय ने दिनांक 16.04.2010 को निरस्त कर दिया। रेस्पोडण्ट को श्रीमान न्यायलाय के द्वारा पारित आदेश की जानकारी होते हुए भी विधि विरूद्ध तरीके से वादाधीन रकबा जो कि रकबाराज कर दिया गया था की राजस्व लोक अदालत अभियान चक 15 एसपीडी में दिनांक 28.05.2015 को अपने पक्ष में खातेदारी अधिकार प्राप्त कर लिए। वादीधीन रकबा की खातेदारी सनद लिए जाने के बाद रेस्पोडेण्ट सं0 1 ने उक्त रकबा अपने पुत्र राजपाल की जरिये गिफ्ट हस्तान्तरण भी कर दिया था। जिसका रिकार्ड में अंकन भी हो चुका है। इस तथ्य को नहीं देखा गया है। प्रश्गनत रकबा अपीलाण्ट का सरप्लस रकबा था। अपीलाण्ट उक्त

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

रकबा की हितबद्ध पक्षकार थी। उक्त रकबा की बाबत एक रिमाण्ड पत्रावली अनवान बलराम बनाम सरकार मातहत अदालत में जेरकार थी। इसी के साथ अपीलाण्टा का एक बालिग पुत्र/पुत्री आवंटन प्रकरण अनवान पाबती देवी बनाम सरकार न्यायालय के समक्ष जेरकार था। अपीलाण्ट के द्वारा रेस्पो0 नं0 1 के नाम से मातहत अदालत के समक्ष चले रहे प्रकरण के तथ्यों से अवगत करवाया था। दोनों पत्रावलियों को समेंकित करने के संबंध में कहा भी था मगर विचारण न्यायलाय ने पत्रावली को शामिल नहीं किया। राजस्थान उपनिवेशन (इ0गा0न0परि0 क्षेत्र में सरकारी भूमि का आवंटन एवं विक्रय) नियम 1975 के अनुसार किसी भी सरकारी भूमि का आवंटन सलाहकार समिति के परामर्श से ही किया जा सकता है। किन्तु मातहत अदालत ने इस अहम कानूनी प्रावधान की अनदेखी करते हुए अपीलाधीन आदेश पारित किया है। चक 16 एस.पी.डी. का रकबा आज भी विशेष आवंटन की सूची में दर्ज है। रकबा रेस्पोडेण्ट को किसी भी सूरत में आवंटित नहीं किया जा सकता है।

4. विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेण्ट ने अपनी बहस में कथन कियाकि प्रश्नगत भूमि रेस्पोडेण्ट की प्री 55 की भूमि थी। प्रश्नगत भूमि का दो बाद अलौटमैंट किया गया था एवं भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज हो चुकी है। बलराम बनाम स्टेट की कोई भी अपील पेश नहीं हुई है। अपीलांट पारबती ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थना–पत्र पेश किया था जो विचारण न्यायालय ने सुनकर खारिज कर दिया है। प्रकरण में माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय दिनांक 28.10.1988 के अनुसर में विचारण न्यायालय को नजरसानी आवंटन पत्र को 11.12.72 पर ही आदेश पारित करना था। उक्त नजरसानी आवेदन पत्र स्वीकार होने की सूरत में ही प्रश्नगत भूमि सम्बन्धी कोई आदेश पारित किया जा सकता था। माननीय राजस्व अपील अधिकारी ने भी अपने यह निर्धारित किया है कि माननीय उच्च न्यायलाय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 28.10.88 के अनुसरण में नजरसानी आवेदन पत्र पर गुणावगुण पर विचार कर कोई निर्णय पारित नहीं किया गया है। माननीय राजस्व अपील प्राधिकारी ने अपने निर्णय दिनांक 19.10.2010 में यह आदेश दिया है कि माननीय उच्च न्यायायल के निर्णय दिनांक 28.10.88 के अनुसरण में विधि सम्मत निर्णय पारित करे। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा माननीय उच्च न्यायालय के निर्देशानुसार अपीलाधीन निर्णय पारित किया है जो विधि सम्मत है। अपीलाण्ट ने मिथ्या तथ्यों के आधार पर यह अपील पेश की है जो खारिज क जावे।

5. विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने विधि अनुसार निर्णय पारित करने का कथन किया।
6. उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया।
7. पूर्व में इस न्यायलाय सरकार बनाम गणपतराम अपील सं0 3/2009 में पारित निर्णय में माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय दिनांक 28.10.88 के अनुसरण में पुनः विधि

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

सम्मत निर्णय पारित करने हेतु रिमाण्ड किया गया था। अधीनस्थ न्यायालय ने निर्णय पारित करते समय यह अंकित किया है कि अपीलाधीन निर्णय में माननीय उच्च न्यायलाय जोधपुर के निर्णय दिनांक 28.10.88 द्वारा आवंटन अधिकारी एवं राजस्व मंडल अजमेर के निर्णय को निरस्त कर प्रार्थी को राहत प्रदान की गई है। इसी मंशा के अनुरूप अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत नजरसानी दिनांक 11.12.1972 को स्वीकार करते हुए प्रश्नगत रकबा रेस्पोडेण्ट को कीमत आवंटन किया गया है। प्रश्गनत रकबा अपीलाण्ट का सरप्लस रकबा था। उक्त रकबा की बाबत एक रिमाण्ड पत्रावली अनवान बलराम बनाम सरकार मातहत अदालत में जेरकार थी। अपीलाण्टा का कथन है कि उसका एक बालिग पुत्र/पुत्री आवंटन प्रकरण अनवान पारबती देवी बनाम सरकार न्यायालय के समक्ष जेरकार था। इसलिए अपीलाण्ट उक्त रकबा की हितबद्ध पक्षकार थी। विचारण न्यायालय ने दोनों पत्रावलियों को समेंकित करते हुए अपीलाधीन निर्णय पारित करना चाहिए था जो नहीं किया गया है। परन्तु अपीलाण्ट ने प्रार्थना-पत्र में प्रकरण के सम्बन्ध में कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है तथा अपीलाधीन निर्णय माननीय उच्च न्यायलाय के उपरोक्त निर्णय दिनांक 28.10.88 के अनुसार पारित किया है जो विधि सम्मत है। अतः अपीलाण्ट का धारा 96 सीपीसी का प्रार्थना-पत्र खारिज किये जाने योग्य है एवं धारा 96 सीपीसी का प्रार्थना-पत्र खारिज होने के कारण अपील भी खारिज किये जाने योग्य है।

8. उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपीलाण्ट का धारा 96 सीपीसी का प्रार्थना-पत्र खारिज किया जाता एवं धारा 96 सीपीसी का प्रार्थना-पत्र खारिज होने के कारण अपील भी खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख निर्णय की प्रमाणित प्रति सहित भिजवाया जावे। पत्रावली निर्णित शुमार व नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

9. निर्णय आज दिनांक 23.09.2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

23/9/22
(करतारसिंह पूनीयां)
आर.ए.एस
राजस्व अपील अधिकारी
हनुमानगढ